<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील डिक्री टीए संख्या 2003/2019/चित्तौड़गढ़</u>

1– शंकर पिता कालूजी रावत मीणा निवासी सुरेड़ा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्

–बनाम–

1– श्री नाथीया पिता भभूता मीणा
2– श्री बगदीया पिता भभूता मीणा दोनों निवासियान सुरेड़ा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ
3– श्री भोपालसिंह पिता नवलसिंह जी राजपूत निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
4– सरकार जरिये तहसीलदार साहब, डूंगला जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्डपीठ</u>
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

<u>उपस्थितः–</u>
1. श्री के0के0पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जे0के0पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः–05–01–2026

1– अपीलांट् ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकरी, चित्तौडगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2003 जिसके द्वारा अपीलांट् की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के समक्ष वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम सुरेड़ा तहसील डूंगला के आराजी खसरा नम्बर 242, 243, 244, 268, 288, 245, 292, 296 व 287 कुल किता 9 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के विभाजन व खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की गई कि वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावा के आधार पर तनकीयात्

कायम करते हुए आराजी जैर के बाबत् खसरा नम्बर 245 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि जोकि बाबरू (पूर्व खातेदार) द्वारा भमरू को विक्रित भूमि को छोड़कर शेष भूमि के बाबत् वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित करते हुए आराजी जैर के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट्/वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 06-02-2003 के माध्यम से विधि एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए वादी/अपीलांट् की अपील को अस्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलांट् द्वारा उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि कि वादी/अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि मौजा सुरेड़ा तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 242, 243, 244, 268, 288, 245, 292 व 287 कुल किता 9 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण लड़की व पत्नी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में अंकित खसरा नम्बर 245 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि को छोड़कर शेष आराजी पर वादी को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्सा मानते हुए वादपत्र को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 245 के बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। दौराने वाद आराजी खसरा नम्बर 268 व 245 भोपालसिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी डूंगला को प्रतिवादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आराजी जैर का हस्तांतरण कर दिया गया। जिसके आधार पर भोपालसिंह को प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट् स्थापित किया गया। तत्पश्चात् दौराने वाद कार्यवाही आराजी खसरा नम्बर 245 व 268 के अलावा अन्य आराजीयात् में 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर आराजी खसरा नम्बर 268 में वादी का 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी नम्बर 5 भोपालसिंह का 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करते हुए आराजी खसरा नम्बर 245 का शेष रकबा नाथू का हिस्सा मानते हुए

वादपत्र को डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट् द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमि मूलरूप से रावत मीणा अर्थात् अनुसूचित जनजाति के धारण की भूमि रही है। ऐसी भूमि का हस्तांतरण स्वर्ण जाति अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 को किया जाना स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के समक्ष अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी था कि वादपत्र एवं प्रतिवादी पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा चार तनकीयात् कायम की जा चुकी थी। उसके उपरान्त भी बिना सहमति के आधार एवं इस तथ्य पर गौर किये बिना की आराजी जैर का बेचान मीणा जाति से स्वर्ण जाति को किया गया है। प्रकरण में वादपत्र का निस्तारण तनकीयात् कायम करने के उपरान्त भी तनकीवार नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 2 की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जिसमें अभिलिखित किया गया कि ''न्यायालय उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनायेगा।'' ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपूर्ण एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। जिसकी पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त विधिक स्थिति के बावजूद भी अपीलांट् की प्रथम अपील को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। लिहाजा अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट्/वादी को आराजी जैर के 1/2 भाग का खातेदार घोषित करते हुए तदनुरूप विभाजन की डिक्री जारी कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम सुरेड़ा तहसील डूंगला के आराजी खसरा नम्बर 242, 243, 244, 268, 288, 245, 292, 296 व 287 कुल किता 9 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की सहमति के आधार पर खसरा नम्बर 245 को छोड़कर बंटवारे के आदेश प्रदान किये गये थे। खसरा नम्बर 245 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि बाबरू पिता चतरा रावत ने भमरू पिता परथा रावत को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-03-1981 को विक्रय कर दी गई। जो कालान्तर में भमरू द्वारा नाथू उर्फ नाथीया पिता भभूता/प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 17-11-1988 के माध्यम से 8000/-रूपयों में विक्रय करते हुए कब्जा सुपुर्द किया गया था। इस प्रकार खसरा नम्बर 245 में वादी/अपीलांट् को कोई हक व हिस्सा निहित नहीं होकर प्रतिवादी के एकल स्वामित्व की भूमि रही है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही खसरा नम्बर 245 की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर वादी एवं

प्रतिवादी को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है तथा जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई नवीन तथ्य प्रकट नहीं होने की स्थिति में समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपीलांट् की हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2025 (4) पेज 1396, आरआरडी 2007 पेज 187, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 320, आरआरडी 1993 पेज 725 एवं आरआरडी 1986 पेज 10 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

7- हस्तगत् प्रकरण में वादी/अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम सुरेड़ा तहसील डूंगला के आराजी खसरा नम्बर 242, 243, 244, 268, 288, 245, 292, 296 व 287 कुल किता 9 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि के बाबत् वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादी एवं प्रतिवादी 1, 2 को 1/2-1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावे के अनुसरण में दादरसी समेत चार तनकीयात् कायम की गई। तदुपरान्त समझौते-पत्र की प्रति के आधार पर वादपत्र को डिक्री करते हुए आराजी खसरा नम्बर 242, 243, 244, 288, 292, 295, 287 का 1/2 हिस्से का वादी को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का तथा आराजी खसरा नम्बर 268 का वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलांट् की अपील को खारिज किया गया है। इस संबंध में हमने वादपत्र एवं वादोत्तर कार्यवाहियों का अवलोकन किया।

8- प्रकरण में हमने अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा नियमानुसार जवाबदावा/काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 1 के प्रावधानों के तहत दादरसी सहित चार तनकीयात् कायम की गई। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विचारणीय हो जाता है कि वादपत्र पर जवाबदावा/काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत होने के उपरान्त भी वादपत्र का निस्तारण तनकीवार नहीं किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ विचारण

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को विधि सम्मत् माना जा सकता है अथवा नहीं? हस्तगत् मामलें में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर प्रतिवादीगण जवाब/काऊन्टर क्लेम प्राप्त होने के उपरान्त सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 1 के उपबन्ध यथा Framing of issues के अनुसरण में दादरसी सहित कुल चार तनकीयात् कायम की गई। उपरोक्त तनकीयात् कायम करने के उपरान्त विचारण न्यायालय से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 2 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया जाना अपेक्षित था। आदेश 14 नियम 2 सीपीसी में यह अभिनिर्धारण किया गया है किः– Court to pronounce judgment on all the issues - (1) Notwithstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue, the Court shall, subject to the provisions of sub-rule (2), pronounce judgment on all issues.

9– उपरोक्त विधिक प्रावधानों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय आदेश 14 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाएगा। इस संबंध में हमने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 1 यथा ''आया वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी होकर वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है।'' इसी अनुरूप तनकी संख्या 2 कायम की गई कि ''क्या बाबरू से आराजी नम्बर 245 को 1981 में भमरू ने एवं भमरू से नाथू ने खरीदी जो उसकी खातेदारी की है।'' इस प्रकार उपरोक्त कायम की गई दोनों तनकीयात् दस्तावेजी साक्ष्यों की मोहताज रही है। उक्त तथ्यों के बावजूद भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आपसी समझौता–पत्र के आधार पर वादपत्र को डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समझौते–पत्र को बतौर प्रदर्श स्वीकार किया गया है परन्तु समझौते–पत्र को गवाहान से प्रमाणित होने के बाबत् कोई टिप्पणी अपने निर्णय में अंकित नहीं की गई है। इसी अनुरूप अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी है कि दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 5 भोपालसिंह पुत्र नवलसिंह को आदेशिका दिनांक 01–12–1997 के माध्यम से इसी आधार पर पक्षकार स्थापित किया गया था कि वह आराजी जैर के सद्भाविक केता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष आराजी जैर का बेचान मीणा जाति से स्वर्ण जाति को किये जाने का तथ्य प्रकट हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में क्या वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42–बी से प्रभावित रहती है अथवा नहीं? इस प्रश्न को भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अनुत्तरित रखा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र जवाबदावा/काऊन्टर क्लेम के अनुसरण में कायम की गई तनकीयात् का निर्धारण सकारण एवं विधि के

परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा भी निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए न्याय के दो मूलभूत सिद्धान्त प्रथम यथा सारभूत कानून (Substantial Law) व द्वितीय प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-03-2002 को भी पुष्टि योग्य नहीं माना जा सकता। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त विधिक स्थिति को दरकिनार करते हुए समझौता-पत्र के अनुसरण में पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से युक्तियुक्त/तर्कसंगत एवं न्यायसंगत आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलांट् की हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

प्रकरण में जहां तक विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है? उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं करते है।

अतः आदेश है किः- अपीलांट् की हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील संख्या 76/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06-02-2003 एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा वाद संख्या 120/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-03-2002 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त वादप्रकिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्षों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23-01-2026 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य